ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कलोह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री शैलेंदर सिंह	01.04.2022 से 09.03.2023
2.	श्रीमती नीलम कुमारी	10.03.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	19.70
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.71
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.06
4)	8.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	10.54
5)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	7.29
6)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.51
7)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.18
8)	9.1	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	4.60
9)	9.3	व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.96

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक

19.06.2024 से 26.06.2024 तक ग्राम पंचायत कलोह के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	03/2023	07/2022
2023-24	10/2023	07/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। "

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 557/2024 दिनांक 26/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत कलोह द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 563673 दिनांक 29/06/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत कलोह द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान चार रोकड़ बहियों अर्थात् स्व:

स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online), इंदिरा आवास योजना (Offline) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2061247	6873466.18	8934713.18	7098890.18	1835823
2	2023-24	1835823	2697884	4533707	2563322	1970385

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कलोह के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2024 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹86779.30** था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1970385.00
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-2)**	**2056501.30**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	663.00
4)	**योग (2+3)**	**2057164.30**
5)	**अन्तर (4-1)**	**86779.30**

(ग) अंतर के कारण :-

(i) दिनांक 31.03.2024 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से केदार इंडस्ट्री गगरेट को उनके बिल संख्या KI/2023-24/365 दिनांक 15.12.23 द्वारा **₹44840** का भुगतान फर्नीचर के क्रय हेतु किया गया, परन्तु जिसका बैंक द्वारा भुगतान दिनांक 31.03.24 तक नहीं किया गया।

(ii) दिनांक 01.01.24 को **₹8800** ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया। अतः अपेक्षित लेखांकन करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

कुल अन्तर (44840 + 8800) = 53640

(iii) रोकड़ बहियों का अनुरक्षण न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार फार्म 14 पर रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 542/2024 दिनांक 20/06/2024 के प्रत्युतर में अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा **परिशिष्ट-क-2** पर प्रस्तुत बैंक खातों की सूची अनुसार **निम्न विवरणानुसार** खाते से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त खाते में ब्याज के अतिरिक्त कोई भी लेन-देन नहीं हुआ था तथा न ही अंकेक्षण अवधि दौरान रोकड़ बही के आय व व्यय पक्ष में कोई इन्द्राज किया गया था। अतः रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न खाते में अनुपयुक्त राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**मद का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को राशि (₹)**
1	HDFC Gagret	50100298297989	(SBM)	0.00
2	PNB Gagret	3986000100060270	(GRDC)	33046.00
3	HDFC Gagret	50100298298213	(14^{th} FC)	93.30

कुल अंतर (53640 + 31139.3) = 86779.3

(घ) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-226 दिनांक 26/06/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹19.70 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1970385** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या

GPK-226 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPK-226 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.71 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPK-226 दिनांक 26/06/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹71150 (परिशिष्ट ख** अनुसार**)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	48350	60400	108750	0	108750
2023-24	108750	60400	169150	98000	71150

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹6400** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	3600
2	2023-24	2800
	योग	**6400**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 544/2024 दिनांक 24/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200/-** की कम वसूली की गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 545/2024 दिनांक 24/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹10.54 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 07/2022 व 07/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹1053960** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 548/2024 दिनांक 25/06/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कलोह के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सांमग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.29 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार कुल **₹728604** की सामग्री में से **₹473544** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष **₹255060** (728604-473544) की सामग्री जैसे सोलर लाइट्स का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | जबकि उक्त क्रय

हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वीकृत माध्यम हिम उर्जा से किया जाना वांछित था, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 547/2024 दिनांक 25/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है । अतः उक्त व्यय को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये । सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए । अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.51 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

चयनित माह 07/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "च"** अनुसार **₹51137.34** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 555/2024 दिनांक 26/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹51137.34** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining

and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.18 लाख स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "छ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹916415.32** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹18328.30** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	RUDRA SOLAR ENTERPRISES MUBARIKPUR	SOLAR LIGHTS	455464.32	455464.32	9109.28 (2% x 455464.32)
3	2022-23	संजीव कुमार गांव कलोह	रेत, बजरी ढुलाई इत्यादि	460951.00	460951.00	9219.02 (2% x 460951.00)
				योग	**916415.32**	**18328.30**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 551/2024 दिनांक 25/06/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹18328.30** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.5 निर्माण कार्य में सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 07/2022 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सीमेंट का उपयोग कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि मात्रा अधिक जारी की गई थी। शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरनानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹3420** का अधिक भुगतान किया गया :-

क) निर्माण कार्य का नाम :- C/O khel ka Madhan GPS Shastri Nagar

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (धन मीटर)	सीमेंट (बैग)
26168 40 to 41	CC 1:6:12	10.65	23.43
26168 40 to 41	CC 1:2:4	7.10	45.44
		योग	**69 बैग**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**80 बैग**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		11 बैग
	क्रय दर		310.92 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**3420**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 556/2024 दिनांक 26/06/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके मनरेगा मद के खाता संख्या 41930001000031015 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

9.1 उचित बिलों के बिना ₹4.60 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न शीर्षों से **सलंग्न परिशिष्ट "ज"** में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति हेतु **₹459951** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है । उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 550/2024 दिनांक 25/06/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत कलोह के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.2 ₹1.00 लाख के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 546/2024 दिनांक 25/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹100056 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख

जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम	चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/2022	खाता निर्माण शौचालय पंचवटी (SBM)	17458
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/2022	खाता निर्माण रास्ता जस्वाला राकेश कुमार, पूर्ण, दिलबाग etc.	4603
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/2022	खाता कम्पलीशन सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 1	53920
4	15वां वित्तायोग	07/2022	C/O Drain And Soakpit Muhlla Beli	24075
			योग	**100056**

9.3 ₹0.96 लाख के व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2022 व 07/2023 में सलंग्न **परिशिष्ट "झ"** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹95999** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 549/2024 दिनांक 25/06/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 553/2024 दिनांक 26/06/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	49, 04.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	29300
2	मनरेगा	91, 14.02.22	रेत, बजरी इत्यादि	32500
3	मनरेगा	56, 08.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	29300
4	मनरेगा	50, 04.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	29300
5	मनरेगा	47, 04.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	25100

10.2 भुगतान वाउचरों पर सयुंक्त हस्ताक्षर न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) के अनुसार किसी भी वाउचर द्वारा तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बद्ध पंचायत सचिव द्वारा इस पर सयुंक्त हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 554/2024 दिनांक 26/06/2024 के प्रत्युत्तर में

सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर सयुंक्त हस्ताक्षर करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	49, 04.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	29300
2	मनरेगा	91, 14.02.22	रेत, बजरी इत्यादि	32500
3	मनरेगा	56, 08.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	29300
4	मनरेगा	50, 04.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	29300
5	मनरेगा	47, 04.12.21	रेत, बजरी इत्यादि	25100

10.3 अग्रिम राशि ₹1.73 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPK-226 दिनांक 26/06/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन गगरेट को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹310920** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि में से **₹137737.56** का समायोजन ही हुआ | अतः हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन गगरेट से उक्त राशि में से असमायोजित राशि ₹**173182.44** को समायोजित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम सं.	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिंनाक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
1	मनरेगा	004472, 004473 23.03.2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	310920	137737.56	173182.44

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 538/2024 दिनांक 19/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-227 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 552/2024 दिनांक 26/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPK-228 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 537/2024 दिनांक 19/06/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPK-226 दिनांक 26/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है|

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

13 SEP 2024 (मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
का0/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
4529–4533 दूरभाष–0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)106/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 SEP 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
का0/प्रति हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग(3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष(5-6)**
1	2022-23	2061247	6873466.18	8934713.18	7098890.18	1835823
2	2023-24	1835823	2697884	4533707	2563322	1970385

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	537769	2215830	2753599	2013313	740286
2	2023-24	740286	1368121	2108407	1352849	755558

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1472019	1161470	2633489	1590879	1042610
2	2023-24	1042610	395116	1437726	277436	1160290

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	3494698.18	3494698.18	3494698.18	0
2	2023-24	0	933037	933037	933037	0

इंदिरा आवास योजना (IAY) offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	51459	1468	52927	0	52927
2	2023-24	52927	1610	54537	0	54537

22

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	1970385.00
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**2023362.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	663.00
4)	**योग (2+3)**	**2024025.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**53640.00**

अंतर के कारण :-

1) दिनांक 31.03.2024 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से केदार इंडस्ट्री गगरेट को उनके बिल संख्या KI/2023-24/365 दिनांक 15.12.23 द्वारा ₹44840/- का भुगतान फर्नीचर के क्रय हेतु किया गया, परन्तु जिसका बैंक द्वारा भुगतान दिनांक 31.03.24 तक नहीं किया गया |

2) दिनांक 01.01.24 को ₹8800/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |

कुल अंतर (44840+8800) = 53640/-

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

(परिशिष्ट क-1)

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (Own & GIA)	20037063287	799735.00
	HDFC Gagret (15th FC)	50100329744801	1169090.00
	KCCB Gagret (IAY)	20037065762	54537.00
		योग	**2023362.00**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	663.00
		योग (1+2)	**2024025.00**

सचिव (हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट क-2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक **निम्नलिखित** रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया गया था :-

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) Offline
2) 15वां वित्तायोग (Online)
3) इंदिरा आवास योजना (Offline)
4) मनरेगा (Online)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना द्वारा अन्य किसी भी रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है तथा अंकेक्षण अवधि दौरान निम्नलिखित बैंक खातों का रख-रखाव किया जा रहा है :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹) 31.03.2024
1	KCCB Gagret (Own & GIA)	20037063287	799735.00
2	KCCB Gagret (IAY)	20037065762	54537.00
3	HDFC Gagret (15th FC)	50100329744801	1169090.00
4	HDFC Gagret (SBM)	50100298297989	0.00
5	PNB Gagret (GRDC)	3986000100060270	33046.00
6	HDFC Gagret (14th FC)	50100298298213	93.30

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

95

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	48350	60400	108750	0	108750
2023-24	108750	60400	169150	98000	71150

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट 'ग'

पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सम्बंधित

ग्राम पंचायत कलोह							
दिनांक 01.04.22 से 31.03.2024 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण							
क्रम सख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	अतुल कुमार	16-04-2022	23-04-2022	156027	200	200	0
2	हिमांशु भारद्वाज	04-05-2022	09-06-2022	156029 156031	400	400	0
3	अमनदीप सिंह	09-05-2022	09-06-2022	1560	400	200	200
4	शुभम	08-07-2022	06-08-2022	156033	200	200	0
5	तरसेम सिंह	27-07-2022	31-08-2022	156035	400	400	0
6	महिंदर सिंह	09-12-2022	13-12-2022	153037	200	200	0
7	पंकज कुमार	04-12-2022	22-12-2022	153039	200	200	0
8	परमजीत सिंह	08-12-2022	22-12-2022	156041	200	200	0
9	लकी ठाकुर	02-12-2022	30/12/2022	156043	200	200	0
10	दीपक कुमार	14/12/2022	02-01-2023	156045	200	200	0
11	गुलशन राणा	15-01-2023	02-02-2023	156047	200	200	0
12	कपिल जरियाल	26-01-2023	09-02-2023	156050	200	200	0
13	दिनेश कुमार	14-02-2023	03-03-2023	156052	200	200	0
14	अरुण कुमार	22-02-2023	17-03-2023	156049	200	200	0
15	रिशव	22-02-2023	17-03-2023	156055	200	200	0
16	रविंदर कुमार	09-03-2023	27-03-2023	156057	200	200	0
17	अजीव कुमार	13-03-2023	03-04-2023	156059	200	200	0
18	संदीप डडवाल	27-01-2023	26-04-2023	156061	400	400	0
19	सुरजीत कुमार	12-05-2023	09-06-2023	156064	200	200	0
20	सुमित कुमार	21-06-2023	06-07-2023	156066	200	200	0
21	दिनेश कुमार	03-05-2023	10-07-2023	156068	400	400	0
22	अंकुश	03-07-2023	11-07-2023	156070	200	200	0
23	अविनेश कुमार	30-06-2023	19-07/2023	156073	200	200	0
24	रजत कुमार	27-11-2023	15-12-2023	156081	200	200	0
25	विवेक जसवाल	18-11-2023	16-12-2023	156083	200	200	0
26	विनय कुमार	19-02-2024	02-03-2024	156556	200	200	0
27	दिनेश कुमार	18-02-2024	05-03-2024	156556	200	200	0
28	पुष्पिंदर	18-02-2024	15-03-2024	156561	200	200	0
				योग	6600	6400	200

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड भगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट 43 पैरा संख्या 3.1 में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	206 30.06.22	Sidhi Vinayak Tiles Badoh	Floor tiles	7558
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	236 13.07.22	Sidhi Vinayak Tiles Badoh	PVC Pipe	4603
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	136 11.07.22	Naveen Enterprises Gagret	PVC Pipe	1240
4	15th FC	07/22	9466 27.06.22	HP Civil Supply Gagret	Cement	5582
5	15th FC	07/22	9465 27.06.22	HP Civil Supply Gagret	Cement	26050
6	15th FC	07/22	33 to 38 21.04.22	Rudra Solar Lights Enterprises Mubarikpur	Solar lights	255060
7	15th FC	07/22	254 ---	Jaswal Brothers Bricks VPO basal	Bricks	18750
8	15th FC	07/22	644 ---	Vijay Iron Traders Gagret	Steel	5325
9	मनरेगा	07/22	41239 09.12.21	HP Civil Supply gagret	cement	24874
10	मनरेगा	07/22	439 27.11.21	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	5530
11	मनरेगा	54 07/22	शून्य 08.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	33400

12	मनरेगा	92 07/22	शून्य 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	12600
13	मनरेगा	86 07/22	शून्य 07.01.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	खिड़कियाँ पल्ले	31691
14	मनरेगा	87 07/22	शून्य 07.01.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	दरवाजे व खिड़कियाँ पल्ले	35630
15	मनरेगा	94 07/22	शून्य 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	4080
16	मनरेगा	68 07/22	शून्य 23.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	23000
17	मनरेगा	55 07/22	शून्य 18.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	9200
18	मनरेगा	93 07/22	शून्य 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	4600
19	मनरेगा	07/22	219 21.03.22	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	6195
20	मनरेगा	07/22	48 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
21	मनरेगा	07/22	89 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	35300
22	मनरेगा	07/22	441 27.11.21	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	3740
23	मनरेगा	07/22	46 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	22100
24	मनरेगा	07/22	90 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव	रेत	2600

				कलोह		
25	मनरेगा	07/22	438 26.11.21	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	3932
26	मनरेगा	07/22	49 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
27	मनरेगा	07/22	91 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी व ढुलाई इत्यादि	18100
28	मनरेगा	07/22	56 08.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
29	मनरेगा	07/22	50 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
30	मनरेगा	07/22	47 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	25100
31	मनरेगा	07/22	004434 05.03.22	HP Civil Supply gagret	cement	155460
32	मनरेगा	07/22	004472 23.03.22	HP Civil Supply gagret	cement	155460
					योग	**1053960/-**

सचिव (M) Kumari
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट ङ

पैरा संख्या 12-में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	206 30.06.22	Sidhi Vinayak Tiles Badoh	Floor tiles	7558	
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	236 13.07.22	Sidhi Vinayak Tiles Badoh	PVC Pipe	4603	
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	136 11.07.22	Naveen Enterprises Gagret	PVC Pipe	1240	
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	शून्य 19.07.22	संदीप शर्मा पुत्र मनोहर लाल	शटरिंग	5000	
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/23	54 03.06.23	Sood Light & Tent House Gagret	टेंट्स का किराया	3800	
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/23	574 --	M/S Puri General Store Gagret	चायपान	5070	
7	15th FC	07/22	33 to 38 21.04.22	Rudra Solar Lights Enterprises Mubarikpur	Solar lights	255060	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वीकृत माध्यम हिम उर्जा से किया जाना वांछित था।
8	15th FC	07/22	254 ---	Jaswal Brothers Bricks VPO basal	Bricks	18750	वाउचर फाइल में मूल बिल के स्थान पर छाया प्रत्ति सलंग्न थी व उक्त भुगतान बिना Pass Order लगाए किया गया था।

29 (31)

9	15th FC	07/22	644 ---	Vijay Iron Traders Gagret	Steel	5325	यथोपरि
10	मनरेगा	07/22	825 30.06.22	Raju Painter VPO Joh, The. Ghanari	Board	2000	
11	मनरेगा	07/22	827 30.06.22	Raju Painter VPO Joh, The. Ghanari	Board	2300	
12	मनरेगा	07/22	823, 824, 826 30.06.22	Raju Painter VPO Joh, The. Ghanari	Board	6900	
13	मनरेगा	07/22	439 27.11.21	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	5530	
14	मनरेगा	07/22	54 08.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	33400	
15	मनरेगा	07/22	92 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	22500	
16	मनरेगा	07/22	86 07.01.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	खिड़कियाँ पल्ले	31691	
17	मनरेगा	07/22	87 07.01.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	दरवाजे व खिड़कियाँ पल्ले	35630	
18	मनरेगा	07/22	94 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	4080	
19	मनरेगा	07/22	219 21.03.22	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	6195	
20	मनरेगा	07/22	48 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300	
21	मनरेगा	07/22	89 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	53300	

22	मनरेगा	07/22	441 27.11.21	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	3740	
23	मनरेगा	07/22	46 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	22100	
24	मनरेगा	07/22	90 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत	14100	
25	मनरेगा	07/22	438 26.11.21	Jaswal Hardware & Paint Store Gagret	Tools	3932	
26	मनरेगा	07/22	49 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300	
27	मनरेगा	07/22	91 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	32500	
28	मनरेगा	07/22	56 08.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300	
29	मनरेगा	07/22	50 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300	
30	मनरेगा	07/22	47 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	25100	
					योग	**728604/-**	

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

31 (33)

परिशिष्ट -च पैरा संख्या 8 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कलोह, विकास खंड गगरेट जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	मनरेगा	खेल का मैदान GPS शास्त्री नगर	54 8/12/2021	संजीव कुमार	Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
					Agg.	11.32	1.52	17.2064	80	1376.512
2	मनरेगा	खेल का मैदान GPS शास्त्री नगर	92 14/2/2022	संजीव कुमार	Sand	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
					Agg.	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
3	मनरेगा	निर्माण रास्ता मदन के घर से रशपाल घर तक वार्ड न	48 4/12/2021	संजीव कुमार	Sand	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
					Agg.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
4	मनरेगा	निर्माण रास्ता मदन के घर से रशपाल घर तक वार्ड न	89 14/2/2022	संजीव कुमार	Sand	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
					Agg.	31.14	1.52	47.3328	80	3786.624
5	मनरेगा	निर्माण रास्ता धारा बाला	46 4/12/2021	संजीव कुमार	Sand	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
					Agg.	19.81	1.52	30.1112	80	2408.896
6	मनरेगा	निर्माण रास्ता धारा बाला	90 14/2/2022	संजीव कुमार	Sand	2.83	1.62	4.5846	80	366.768
7	मनरेगा	निर्माण रास्ता सुभाष आदि बेह्ड़े बाला	49 4/12/2021	संजीव कुमार	Sand	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
					Agg.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
8	मनरेगा	निर्माण रास्ता सुभाष आदि बेह्ड़े बाला	91 14/2/2022	संजीव कुमार	Sand	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
					Agg.	14.16	1.52	21.5232	80	1721.856
9	मनरेगा	निर्माण रास्ता अनूप कुमार	56 8/12/2021	संजीव कुमार	Sand	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
					Agg.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24

32 35

सचिव ग्राम पंचायत कलोह विकास खण्ड गगरेट

10	मनरेगा	निर्माण रास्ता मंदिर बाबा बालक से लिंक रोड मुहल्ला बेह्ड़े	50 4/12/2021	संजीव कुमार	Sand	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
					Agg.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
11	मनरेगा	निर्माण डगा व रास्ता ब्राहम्ण वार्ड न 5	47 412/2021	संजीव कुमार	Sand	14.16	1.62	22.9392	80	1835.136
					Agg.	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
17	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	निर्माण रास्ता परमजीत से हरजिंदर	Bill No.539 29/6/2023	GANPATI STONE CRUSHER	Sand	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
					Agg.	19.82	1.52	30.1264	80	2410.112
							योग	511.3734	80	40909.872
									25 % पेनल्टी	10227.468
									कुल योग	51137.34

सचिव (signature)
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

83 25

परिशिष्ट 'छ' पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत कलोह विकास खंड गगरेट जिला ऊना HP					
माह 07/22 में संजीव कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह गांव कलोह को किए गए भुगतान का विवरण					
क्रम सख्या	मद	व्यक्ति का नाम	वाउचर सख्या	बिल दिनाक	राशि (GST को छोडकर)
1	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	54	12-08-2021	33400
2	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	92	14/2/2022	22500
3	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	86	01-07-2022	31691
4	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	87	01-07-2022	35630
5	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	94	14/2/2022	4080
6	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	93	14/2/2022	5100
7	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	92	14/2/2022	22500
8	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	89	14/2/2022	53300
9	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	90	14/2/2022	14100
10	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	91	14/2/2022	32500
11	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	55	12-08-2022	9200
12	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	56	12-08-2022	29300
13	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	68	23/12/2021	23000
14	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	46	12-04-2021	22100
15	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	47	12-04-2021	25100
16	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	48	12-04-2021	29300
17	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	49	12-04-2021	29300
18	मनरेगा	SANJEEV KUMAR	50	12-04-2021	29300
19	SABHA FUND	SANJEEV KUMAR	36	19/7/2022	9550
				योग	**460951**

सचिव (M) Kumar
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

पंचा/2122-ई

वित्तीय वर्ष 2022-23 में M/S RUDRA SOLAR ENTERPRISES Mubarikpur को किए गए भुगतान का विवरण					
क्रम सख्या	मद	व्यक्ति का नाम		बिल दिनाक	राशि (GST को छोडकर)
1	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		33 21/4/2022	37955.36
2	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		34 21/4/2022	37955.36
3	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		35 21/4/2022	37955.36
4	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		36 21/4/2022	37955.36
5	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		37 21/4/2022	37955.36
6	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		38 21/4/2022	37955.36
7	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		215 5/8/2022	37955.36
8	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		216 5/8/2022	37955.36
9	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		217 5/8/2022	37955.36
10	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		218 5/8/2022	37955.36
11	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		219 5/8/2022	37955.36
12	15FC	JDRA SOLAR ENTERPRISES		220 5/8/2022	37955.36
				योग	455464.32

सचिव
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

37

35

परिशिष्ट 'ज'   पैरा संख्या१.१ में संदर्भित

उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान करना :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	35 07/22	शून्य 19.07.22	संदीप शर्मा पुत्र मनोहर लाल, कलोह	शटरिंग	5000
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	36 07/22	शून्य 19.07.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	पानी टैंक, ढुलाई, मिक्सचर इत्यादि	9550
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	22 07/23	शून्य 30.06.23	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	ढुलाई, मिक्सचर इत्यादि	16500
4	मनरेगा	54 07/22	शून्य 08.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	33400
5	मनरेगा	92 07/22	शून्य 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	22500
6	मनरेगा	86 07/22	शून्य 07.01.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	खिड़कियाँ पल्ले	31691
7	मनरेगा	87 07/22	शून्य 07.01.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	दरवाजे व खिड़कियाँ पल्ले	35630
8	मनरेगा	94 07/22	शून्य 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	4080
9	मनरेगा	68 07/22	शून्य 23.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	23000
10	मनरेगा	55 07/22	शून्य 18.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	9200

11	मनरेगा	93 07/22	शून्य 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	5100
12	मनरेगा	07/22	48 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
13	मनरेगा	07/22	89 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	53300
14	मनरेगा	07/22	46 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	22100
15	मनरेगा	07/22	90 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, ढुलाई इत्यादि	14100
16	मनरेगा	07/22	49 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
17	मनरेगा	07/22	91 14.02.22	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	32500
18	मनरेगा	07/22	56 08.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
19	मनरेगा	07/22	50 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	29300
20	मनरेगा	07/22	47 04.12.21	संजीव कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह गांव कलोह	रेत, बजरी इत्यादि	25100
					योग	**459951/-**

सचिव Kumari
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

39

37

परिशिष्ट 'ह' पैरा संख्या 13 में संदर्भित

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/22	खाता निर्माण रास्ता जस्वाला राकेश कुमार, पूर्ण, दिलबाग etc.	236 13.07.22	PVC Pipe	4603
2	15th FC	07/22	C/O Drain And Soakpit Muhlla Beli	254 ---	Bricks	18750
3	15th FC	07/22	C/O Drain And Soakpit Muhlla Beli	644 ---	Steel	5325
	मनरेगा	07/22	C/o Panchayat Ghar Kaloh	शून्य 07.01.22	खिड़कियाँ पल्ले	31691
	मनरेगा	87 07/22	C/o Panchayat Ghar Kaloh	शून्य 07.01.22	दरवाजे व खिड़कियाँ पल्ले	35630
					योग	**95999/-**

सचिव Kumari
ग्राम पंचायत कलोह
विकास खण्ड गगरेट
जिला ऊना (हि०प्र०)

40

38